13/7/23

2023/213

कोठी स्टेशनरी, गांधीनगर 230289
ला. पेकी स्टेज

राजस्थान सरकार

(कायदा — 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नम्बर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला क्रमांक 5
251 (क) RTA पुर्वग्रा पक्ष	165/2023	10/7/2023	[illegible] 25/10/23	

अनवान

श्री प्रभुलाल भील/गुलाब श्री श्रीमान तहसीलदार महो०

निवासी बिजौलियां खुर्द निवासी बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

डिक्रीदार रेस्पाडेन्ट / मदयूनाव

श्री मुकेश कुमार धाकड़ श्री

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

[illegible] बनाम TDR

किस्म मुकदमा – 251(A) नम्बर 165/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/07/2023	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी / जवाब दिनांक 13/07/2023 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
13/7/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 20/7/23 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
20/7/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार बिजौलिया को मौका रिपोर्ट के लिए लिखा गया। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट देखने दिनांक 17/8/23 को पेश हो।	
17/8/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 14/9/23 को वास्ते मौका R पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
14/9/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट दिनांक 10/10/23 को पेश हो।	
10/10/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 17/10/23 को वास्ते मौका R पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

17/10/23 पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 25/10/23 को वास्ते आदेश पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

25/10/23 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार बिजौलिया से जांच रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हो चुकी है, जिसे शामिल पत्रावली किया जा चुका है। पत्रावली में निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर। पत्रावली फैसल होकर, नम्बर से कम होकर शुमार दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 165/2023 **दायर तारीख 10.07.2023**

अनवान

प्रभुलाल पुत्र गुलाबचन्द जाति भील आयु 40 वर्ष नि0 बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा।

............प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

............अप्रार्थी

उपस्थित :– 1. श्री मुकेश कुमार धाकड़, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :25/10/2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** विरूद्ध विपक्षी पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी के स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि मौजा ग्राम कोयलाकुण्डी पटवार हल्का तिलस्वां स्थित आराजी नं. 140/96 रकबा 0.3115 हैक्टेयर भूमि मे आने जाने के लिये विपक्षी की ग्राम कोयलाकुण्डी पटवार हल्का तिलस्वां स्थित खसरा संख्या 149/51 रकबा 0.2914 हैक्टेयर किस्म गेमु. मगरी के उत्तरी पश्चिमी भुजा के सहारे सहारे दक्षिण की तरफ आकर प्रार्थी की आराजी तक आता हैं। प्रार्थी एवं पूर्व खातेदार कई वर्षो से निरन्तर उसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी पर काश्त की जा रही हैं। मौके पर वर्तमान में भी उसी रास्ते का उपयोग किया जा रहा है एवं रास्ते के आलामात मौजूद है। विपक्षी की उक्त बिलानाम आराजी संख्या 149/51 में स्थित रास्ता प्रार्थी की आराजी को मुख्य सड़क से जोड़कर आने जाने का का सबसे संक्षिप्त (नजदीकी रास्ता) है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अपनी आरजियात पर आने जाने हेतु ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ते को प्राथी राजस्व रेकार्ड (जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस) में दर्ज करवाना चाहता है ताकि भविष्य में प्रार्थी की उक्त भूमि में जाने जाने के उक्त रास्ते को कोई अवरुद्ध ना कर सके। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई नजदीकी एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी विपक्षी की उक्त आराजी पर स्थित 30 फीट चौड़े रास्ते को रेकॉर्ड में दर्ज करने के बदले तय किये जाने वाले मुआवजे के भुगतान को तैयार हैं। उक्त आराजीयात पर जाने के लिए रास्ते को राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के आदेश प्रदान कराना फरमावें।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर करवाया जांकर विपक्षी की तलबी जरिय नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गयी।

प्रकरण में मात्र विपक्षी तहसीलदार ही पक्षकार हैं। अतः प्रकरण में मौका स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार बिजौलियां से तलब की गयी तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2023/1195 दिनांक 03.10.2023 में अंकित किया कि मौजा ग्राम कोयलाकुण्डी में आवेदक प्रभुलाल पुत्र गुलाबचन्द भील निवासी बिजोलियां खुर्द अपनी खातेदारी आराजी नं0 140/96 रकबा 0.3115 है0 भूमि में आने जाने के लिए रास्ते हेतु ग्राम कोयलाकुण्डी की बिलानाम आराजी नं0 149/51 रकबा 0.2914 है0 भूमि में रास्ते की मांग की है। आवेदक को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए बिलानाम आराजी नं0 149/51 में से 30X100 व0फी0 यानि 0.0300 है0 भूमि की आवश्यकता होगी। आराजी नं0 149/51 सलावटिया से कांस्या सड़क (SH) से लगती हुई है। उक्त आराजीयात् में से रास्ता दिये जाने पर किसी को कोई सार्वजनिक आपत्ति नही है। आराजी न0 149/51 खनिज संभावित दर्ज रेकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

ग्राम कोयला कुण्डी की आराजी नं0 149/51 रकबा 0.2914 है0 में से 0.0300 है भूमि की डी. एल. सी. दर 1992482/— रु0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 59775/— रूपये का दुगुना से 119550/— रूपये की राशि बनती है।

प्रकरण में बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया।

उक्त प्रस्तावित रास्ता ग्राम कोयला कुण्डी की आराजी नं0 149/51 रकबा 0.2914 है0 में से 0.0300 है0 भूमि में से रास्ता दिये जाने हेतु भूमिधारी तहसीलदार बिजौलिया ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया हैं। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में मौके पर दर्ज नही हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

—: आदेश :—

अतः प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत **धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** के तहत स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थी को स्वयं के खाते की भूमि मौजा ग्राम कोयलाकुण्डी पटवार हल्का तिलस्वां स्थित आराजी नं. 140/96 रकबा 0.3115 हैक्टेयर भूमि मे आने जाने के लिये विपक्षी की ग्राम कोयलाकुण्डी पटवार हल्का तिलस्वां स्थित खसरा संख्या 149/51 रकबा 0.2914 हैक्टेयर में से 0.0300 हैक्टेयर भूमि प्रवेश हेतु बनती है। जिसकी वर्तमान डी. एल. सी. दर 1992482/— रु0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 59775/— रूपये का दुगुना से 119550/— रूपये बनते है। बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमान्तर्गत रास्ता राजस्व अभिलेख में गै0मू0 रास्ता (रास्ता/पगडंडिया) अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते हैं। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 25/10/2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ